स्पीड पोस्ट
एवं ई–मेल

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. J/1/2019/STGCG/ATOTH/RU-III   दिनांक: 16.05.2019

सिटिंग नोटिस

विषयः थाना प्रभारी द्वारा निर्दोष कंवर समाज के जनजाति लोगों को जानबूझ कर फंसाने के संबंध में श्री जदुमणि, ग्राम – किलकिला, पोस्ट – टुरटुरा, तहसील – लैलुंग, जिला – रायगढ़, छत्तीसगढ का अभ्यावेदन ।

संदर्भः आयोग के नोटिस समसंख्यक दिनांक 18/04/2019 एवं स्मरण पत्र दिनाँक 10/05/2019 का संदर्भ ग्रहण करें ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक <u>30–05–2019 को 03.00 बजे</u> सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित सम्पूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16/5/2019

(डा. ललित लट्टा)
निदेशक
दूरभाष–24615012

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक,
   छत्तीसगढ़ पुलिस,
   छत्तीसगढ़ शासन,
   रायपुर – 492001

2. पुलिस अधीक्षक,
   जिला – रायगढ़,
   छत्तीसगढ

3. थाना प्रभारी,
   तहसील – लैलुंगा,
   जिला – रायगढ़,
   छत्तीसगढ

4082-85
16/5/19

जारी ISSUED

प्रतिलिपिः

श्री जदुमणि,
ग्राम – किलकिला, पोस्ट – टुरटुरा,
तहसील – लैलुंग, जिला – रायगढ़, छत्तीसगढ